लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
033/2023 (GCMS 2023/95)	21.03.2023	28.03.2023

अनवान

रियाज खान निवासी टाल एरिया पानी की टंकी के पास निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9928186028)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./033/2023(सू.अ.)(28.03.2023)/224 दिनांक 21.03.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 28.03.2023 को अपील अपीलार्थी स्वयं हाजिर आये एवं वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ /2023/34 दिनांक 28.03.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थी श्री रियाज खान निवासी टाल एरिया पानी की टंकी के पास निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2023 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी जनसुनवाई अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/38 दिनांक 16.02.2023 को सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है, जिस पर वांछित सूचना आदिनांक अप्राप्त है।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी जनसुनवाई अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होने पर यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी जनसुनवाई अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पास उपलब्ध हैं जिसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 में प्रावधित निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वांछित सूचना अधिनियम 2005 द्वारा प्रावधित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 13.02.2023 जो कि लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त हुआ बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2023 से वांछित सूचना 15 दिवस में निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **28.03.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official